(20)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2
संख्या–वे0आ0–2–225 / दस–2009–54(एम) / 2008टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2009

संकल्प

पढ़ा गया : वेतन समिति (2008) के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियाँ।

पर्यालोचनार्थ– शासन द्वारा वेतन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर विचार किया गया। शासन ने वेतन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को निम्नानुसार स्वीकार कर लिया है :—

(1) राज्य के शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों की राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के साधारण वेतनमान, चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान के शिक्षकों को केन्द्र सरकार के शैक्षिक पदों के समान क्रमशः ग्रेड–3, ग्रेड–2 एवं ग्रेड–1 की श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से समिति द्वारा संस्तुत उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन प्रकल्पित आधार पर स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ / नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य कराया जायेगा।

(2) शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के ऐसे राजकीय शिक्षकों, जिन्हें शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान अनुमन्य था परन्तु समयमान वेतनमान की सुविधा राजकीय कर्मचारियों की भाँति अनुमन्य थी, को पूर्व से प्राप्त हो चुके समयमान वेतनमान को समायोजित करते हुए उपर्युक्त प्रस्तर–(1) के अनुसार शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान वेतनमान की सुविधा स्वीकृत की जायेगी।

(3) वर्तमान में इण्टरमीडिएट स्तर पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक / अतिथि विषय विशेषज्ञ को रू0 350 प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 10,000 प्रतिमाह तथा हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत व्यवसायिक शिक्षक / अतिथि विषय विशेषज्ञ को रू0 250 प्रति व्याख्यान अधिकतम रू0 6,000 प्रतिमाह की दर से संशोधित मानदेय दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से अनुमन्य किया जायेगा।

(4) शिक्षा विभाग द्वारा स्थानान्तरण की ऐसी नीति बनाई जायेगी जिससे प्रत्येक विद्यालय में मानक के अनुसार शिक्षक उपलब्ध रहें और शिक्षक विहीन विद्यालय होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) वेतन समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण के संबंध में आवश्यक आदेश सचिवालय के संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जायेंगे।

(6) उपर्युक्त के सम्बन्ध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

(7) इस संकल्प द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के उच्चीकृत वेतनमान निम्न पर सम्प्रति लागू नहीं होंगे :—

- (क) अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक।
- (ख) संस्कृत विद्यालयों / महाविद्यालयों के शिक्षक।
- ✓(ग) समाज कल्याण विभाग के सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक।
- (घ) सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक।

पृष्ठ?

(8) वेतन समिति के अध्यक्ष, सदस्यों तथा समिति के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जिस परिश्रम, अध्यवसाय व निष्ठा से अपना गुरुतर दायित्व निर्वहन करते हुए यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, शासन उसकी सराहना करता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन–साधारण की सूचना के लिए उत्तर प्रदेश गजट में प्रकाशित किया जाये। संकल्प तथा वेतन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन वित्त विभाग की वेब साइट पर रखा जाये और सम्बन्धित विभागों को भी भेजा जाये

यह भी आदेश दिया जाता है कि वेतन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन तथा संकल्प की प्रतियाँ, सम्बन्धित सेवा संघो और जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध रखी जायें।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(अनूप मिश्र)

प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–225(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रतिवेदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3. सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. सचिवालय के सम्बन्धित विभागों के सम्बन्धित अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(नरेन्द्र कुमार)

संयुक्त सचिव।